

प्रेषक,

उमा शंकर सिंह,

उप सचिव,

30 प्र0 शासन।

सेवा में,

अधिशाली अधिकारी,

नगर पंचायत-राया, जनपद-मथुरा/नगर पंचायत-सौंख, जनपद-मथुरा/नगर पंचायत-फैजगंज, जनपद-बदायूं/नगर पंचायत-उसहैत, जनपद-बदायूं/नगर पंचायत-सैदपुर, जनपद-बदायूं/नगर पंचायत-वजीरगंज, जनपद-बदायूं/ नगर पंचायत-बिल्थरारोड, जनपद-बलिया/नगर पंचायत-नौगावासादात, जनपद-अमरोहा/ नगर पंचायत-मुहम्मदाबाद गोहना, जनपद-मऊ/नगर पंचायत-रसूलाबाद, जनपद-कानपुर देहात/नगर पंचायत-अमरौधा, जनपद-कानपुर देहात/ नगर पंचायत-बहसूमा, जनपद-मेरठ/ नगर पंचायत-एरच, जनपद-झांसी/नगर पंचायत-हरैया, जनपद-बस्ती। नगर पंचायत-इकौना, जनपद-श्रावस्ती/ नगर पंचायत-सहजनवां, जनपद-गोरखपुर/ नगर पंचायत-नई बाजार, जनपद-संतरविदासनगर भदोही/ नगर पंचायत-लालगोपालगंज, जनपद-इलाहाबाद/नगर पंचायत-मऊआईमा, जनपद-इलाहाबाद।

नगर विकास अनुभाग-8

लखनऊ: दिनांक 04 मार्च, 2014

विषय:- वित्तीय वर्ष 2013-14 में आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु नगर पंचायतों को अनुदान की स्वीकृति।

महोदय,

छोटे एवं मध्यम नगर, जिनकी जनसंख्या एक लाख से कम हैं, की अवस्थापना सुविधाओं यथा पेयजल, सीवरेज, ड्रेनेज, सालिड वेस्ट मैनेजमेंट, स्लाटर हाउस, सड़क, मार्ग प्रकाश, सार्वजनिक सुविधाओं का सृजन कर नागरिकों को गुणवत्ता पूर्ण सुविधाओं को प्रदान करने तथा नगरों/कस्बों के समेकित एवं नियोजित विकास को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से प्रदेश में आदर्श नगर योजना लागू की गयी है, जिसके संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश शासन के कार्यालय जाप संख्या-555/नौ-5-2008-370/2006 दिनांक 24 जनवरी, 2008 तथा कार्यालय जाप संख्या-1534/9-8-2013-423आ.न.यो./10 दिनांक 28.5.2013 द्वारा प्रभावी दिशा-निर्देशों में सरलीकरण/संशोधन के आदेश निर्गत किये गये हैं।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 में 30 प्र0 व्यापार विकास निधि से व्यय हेतु आदर्श नगर योजना में प्रावधानित धनराशि से संलग्न सूची में अंकित विवरण के अनुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त 19 नगर पंचायतों द्वारा उपलब्ध कराये गये डीपीआर के सापेक्ष कुल रूपये 695.00 लाख (रूपये छः करोड़ पंचानवें लाख मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की अनुमति प्रदान करते हुए उक्त के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में 50 प्रतिशत की धनराशि रूपये

सिवा

347.50 लाख (रूपये तीन करोड़ सैतालीस लाख पचास हजार मात्र) अवमुक्त किये जाने पर निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

- (1) निकाय को वित्तीय वर्ष 2013-14 में प्रदान की जा रही प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में स्वीकृत 50 प्रतिशत धनराशि का उपभोग कर लिए जाने की सूचना शासन को उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त वित्तीय वर्ष 2013-14 में शेष 50 प्रतिशत धनराशि सम्बन्धित नागर निकाय को अवमुक्त की जायेगी।
- (2) उक्त धनराशि कार्यालय ज्ञाप दिनांक 24 जनवरी, 2008 तथा कार्यालय ज्ञाप दिनांक 28.5.2013 में आदर्श नगर योजना के संबंध में प्रख्यापित दिशा-निर्देशों के अधीन स्वीकृत की जा रही है।
- (3) स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु निकाय द्वारा प्रस्तुत बिल सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा, जिसे सम्बन्धित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी द्वारा निकायों के आदर्श नगर योजना के संचालन हेतु खोले गये राष्ट्रीयकृत बैंक खाते में सीधे जमा किया जायेगा।
- (4) नगर विकास विभाग के अन्तर्गत ड्रेनेज से सम्बन्धित कराए जाने वाले कार्यों के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-3788/9-5-2012-111 बजट/2010 दिनांक 09.10.2012 की व्यवस्थानुसार नगर पालिका परिषदों द्वारा रूपये 25.00 लाख तथा नगर पंचायतों द्वारा रूपये 5.00 लाख तक के ड्रेनेज सम्बन्धी कार्य कराये जा सकेंगे। क्रमशः इससे अधिक के ड्रेनेज सम्बन्धित कार्य सी.एण्ड. डी.एस., उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा कराये जायेंगे।
- (5) यदि शासनादेश में स्वीकृत कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है तो सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि वे शासन/निदेशालय को तत्काल अवगत करायें।
- (6) निदेशालय/स्थानीय निकाय द्वारा योजनान्तर्गत प्रस्तावित समयबद्ध एवं चरणबद्ध सुधारों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- (7) नागर निकाय द्वारा अवस्थापना निधि/अन्य निधि से निर्मित होने वाली सड़कों का निर्माण हेतु शासनादेश संख्या-2087/9-5-2013-120 बजट/2013 दिनांक 07.6.2013 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (8) इस योजना के अन्तर्गत कराये गये निर्माण कार्यों में कहीं पर गुणवत्ता की कमी अथवा निर्धारित मानक के विपरीत कार्य कराये जाते हैं तो इसके लिए सम्बन्धित ठेकेदार, अवर अभियंता, अधिशासी अधिकारी, नागर निकाय के अध्यक्ष तथा प्रभारी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत बराबर के उत्तरदायी होंगे।
- (9) इस योजना के अन्तर्गत कराये गये कार्यों में यदि गुणवत्ता खराब होने, अधोमानक होने तथा ठेकेदार की लापरवाही एवं तकनीकी त्रुटि के कारण टूटफूट होती है तो निर्माण कार्यों की पूर्णता की तिथि से तीन वर्ष के अन्दर उसका रख-रखाव सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा किया जायेगा। इसका उल्लेख टेण्डर की शर्तों में किया जायेगा।
- (10) स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति तथा प्रस्तावित सुधारों की मासिक समीक्षा जिलाधिकारी द्वारा अपने स्तर पर करते हुए प्रगति विवरण प्रत्येक माह निदेशक, स्थानीय निकाय

faem

- को उपलब्ध करायेंगे तथा निदेशक, स्थानीय निकाय द्वारा संकलित सूचना/प्रगति विवरण माह के प्रथम सप्ताह में शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- (11) प्रस्तावित प्रायोजना की विस्तृत ड्राइंग/डिजाइन एवं तकनीकी स्वीकृति सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रस्तावित निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाना अनिवार्य होगा। प्रस्तावित कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति नहीं की जायेगी।
- (12) स्वीकृत कार्यों को शासन द्वारा अनुमोदित लागत पर ही पूर्ण कराया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत लागत के सापेक्ष यदि कम धनराशि अवमुक्त की गयी है, तो उक्त कार्य को योजनान्तर्गत स्वीकृत अन्य कार्यों की बचतों/निकाय द्वारा स्वयं के स्रोतों से पूर्ण कराया जायेगा।
- (13) स्वीकृत कार्यों में से जिन कार्यों का निष्पादन एवं रख रखाव स्थानीय निकाय द्वारा किया जाता है, के लिये संबंधित निकाय कार्यदायी संस्था होगी।
- (14) स्वीकृत किये जा रहे कार्यों के कार्य स्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियत डिस्पले बोर्ड पर योजना का पूर्ण विवरण, कार्यदायी संस्था एवं कार्य प्रारम्भ होने तथा कार्य पूर्ण होने की सम्भावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा।
- (15) स्वीकृत धनराशि अनुमोदित कार्य पर ही व्यय की जायेगी तथा स्वीकृत धनराशि का व्यवर्तन किसी भी दशा में सूची में अंकित कार्यों से अन्य किसी कार्य में नहीं किया जायेगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा। स्वीकृत कार्य यदि किसी अन्य योजना में सम्मिलित है, तो प्रश्नगत धनराशि आहरण करने से पूर्व समस्त अभिलेखों सहित तत्काल शासन को समर्पित कर दी जाय।
- (16) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों द्वारा किया जायेगा।
- (17) वित्तीय मामलों से संबंधित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी अथवा लेखा का कार्य देखने वाला अन्य अधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित अधिकारी का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त प्रशासकीय विभाग तथा वित्त विभाग को दी जायेगी।
- (18) आंकलित आगणनों में उल्लिखित मात्राओं को सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व संबंधित कार्यदायी संस्था/स्थानीय निकाय/जिलाधिकारी का होगा। अतएव विभिन्न स्तर पर उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय-सीमा अवधि में पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।
- (19) इस योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्यों के पूर्ण होने के उपरान्त उसकी गुणवत्ता की चैकिंग कराकर वित्तीय वर्ष 2013-14 में स्वीकृत कुल धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन/निदेशालय/ महालेखाकार को दिनांक 31 मार्च, 2014 तक उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

faan

3. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत आयोजनागत लेखाशीर्षक-"2217-शहरी विकास-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-193-नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र समितियों या उसके समतुल्य निकायों को सहायता-04-उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि से व्यय-01- आदर्श नगर विकास योजना-35- पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-8-1345-दस-14, दिनांक 04 मार्च, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भैरवीय  
W

( उमा शंकर सिंह )

उप सचिव।

वि.वि.

संख्या-74/252आ.न.यो.(1)/9-8-2014 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, नगर विकास विभाग।
3. सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. सम्बन्धित कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश।
7. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8 एवं 9/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, 2
10. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

( उमा शंकर सिंह )

उप सचिव।

वि.वि.

W

क्र.	जनपद	निकाय का नाम	कार्य/मद	प्रस्तावित लागत	मूल्यांकित लागत	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि	प्रथम किस्त के रूप में अवमुक्त की जाने वाली धनराशि
1	मथुरा	न.प. राया	वार्ड-4 में थाना नगला रोड से तेजपाल के मकान तक नाली व इण्टरलाकिंग सडक निर्माण कार्य।	10.51	10.51		
			वार्ड-4 में महेश के मकान से रन्धीर के मकान तक नाली व इण्टरलाकिंग सडक निर्माण कार्य।	07.98	07.98		
			वार्ड-4 थाना नगला रोड से महेन्द्र के मकान तक नाली व इण्टरलाकिंग सडक निर्माण कार्य।	08.57	08.57		
			योग-		27.06	25.00	12.50
2	मथुरा	न.प. सौंख	सर्राफ बाजार से अनिल कपडे वाले के घर तक इण्टरलाकिंग सडक व नाली निर्माण कार्य।	04.70	04.70		
			अशोक बजाज के मकान से लड्डू कुम्हार के मकान तक इण्टरलाकिंग सडक व नाली निर्माण कार्य।	01.23	01.23		
			चन्द्रा के घर से साबू के घर तक इण्टरलाकिंग सडक व नाली निर्माण कार्य।	0.52	0.52		
			कृष्णा हलवाई से श्री चन्द्र के मकान तक इण्टरलाकिंग सडक व नाली निर्माण कार्य।	04.80	04.80		
			योग-		11.25	11.00	05.50



( उमा शंकर सिंह )  
उप सचिव।



क्र.	जनपद	निकाय का नाम	कार्य/मद	प्रस्तावित लागत	मूल्यांकित लागत	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि	प्रथम किस्त के रूप में अवमुक्त की जाने वाली धनराशि
3	बदायूं	न.प. फैजगंज	वार्ड नम्बर-10 में किशवर के मकान से शरीफ भाई की पुलिया तक इण्टरलाकिंग कार्य।	08.24	08.24		
			वार्ड नम्बर-6 में एम0एफ0 मार्ग से थाने की जगह तक इण्टरलाकिंग कार्य।	12.25	12.25		
			योग-		20.49	20.00	10.00
4	बदायूं	न.प. उसहैत	पीडब्ल्यूडी रोड से इस्लाम के घर होते हुए इतवारी के घर तक पेवर ब्लाक रोड निर्माण कार्य।	13.35	13.35		
			अस्पताल गेट से जलकर विभाग तक पेवर ब्लाक पटरी निर्माण कार्य।	11.52	11.52		
			चांद खां के प्लाट से खुर्शीद के मकान तक पेवर ब्लाक रोड मय नाली निर्माण कार्य।	06.38	06.38		
			सरकारी क्वार्टर से आगे व देवी मन्दिर तक पेवर ब्लाक रोड मय नाली निर्माण कार्य।	04.67	04.67		
			ककराला चौराहे से बिजली घर की ओर नाला निर्माण कार्य।	13.11	13.11		
			योग-		49.03	49.00	24.50



( उमा शंकर सिंह )  
उप सचिव।



संख्या-74/252आ.न.यो./नौ-आठ-2014-12आ.न.यो.(बजट)/2014 दिनांक 04 मार्च, 2014 का संलग्नक।


क्र.	जनपद	निकाय का नाम	कार्य/मद	प्रस्तावित लागत	मूल्यांकित लागत	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि	प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की जाने वाली धनराशि
5	बदायूं	न.पं. सैदपुर	पुलिया से करैगी रोड की ओर पेवर ब्लाक पटरी निर्माण कार्य।	24.29	24.29		
			(ए) खुशबू अली के मकान से मैन रोड तक (बी) अच्छन वर्तन वाले के मकान से छिददू बरूए के मकान तक पेवर ब्लाक रोड मय नाली निर्माण कार्य।	02.42	02.42		
			वार्ड संख्या-4 में (ए) याकूब शाह से मस्जिद (बी) आरिफ के मकान से सरवर (सी) लल्लन भाई के मकान से सहादत (डी) रज्जन शाह से अच्छन (ई) अहमद नबी के मकान से नुसरत के मकान तक पेवर ब्लाक रोड निर्माण कार्य।	03.36	03.36		
			योग-		30.07	30.00	15.00
6	बदायूं	न.पं. वजीरगंज	थाने से हतरा रोड तक इण्टरलाकिंग साइड पटरी कार्य।	23.70	23.70		
			बघौल मोड से बिल्सी रोड तक साइड पटरी इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	36.11	36.11		
			वार्ड-6 में पुसगवां रोड पर महेन्द्रपाल के घर से दूध की डेयरी तक नाला निर्माण कार्य।	03.62	03.62		
			प्रकाश व्यवस्था हेतु 25 वाट 81 एल.ई.डी. लाइट लगाये जाने का कार्य।	17.82	17.82		
			योग-		81.25	81.00	40.50



( उमा शंकर सिंह )  
उप सचिव।



क्र.	जनपद	निकाय का नाम	कार्य/मद	प्रस्तावित लागत	मूल्यांकित लागत	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि	प्रथम किस्त के रूप में अवमुक्त की जाने वाली धनराशि
7	बलिया	न.पं. बिल्थरारोड	वार्ड नम्बर-7/8 में डा0 कन्हैया लाल के मकान से सदाफल के मकान होते हुए डाकबंगला रोड तक इण्टरलाकिंग सड़क का कार्य।	11.81	11.81		
			वार्ड नम्बर-8 में अखोप, कुण्डैल नहर रोड से बालेश्वर के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क का कार्य।	05.98	05.98		
			वार्ड नम्बर-9 में सोनाडीह रोड से रजिया खातून के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क कार्य।	07.74	07.74		
			नगर पंचायत बेलथरा रोड सीमा अन्तर्गत विभिन्न वार्डों में सोलर लाइट लगाने का कार्य 40 अदद।	27.98	27.98		
			योग-		53.51	53.00	26.50
8	अमरोहा	न.पं. नौगावासादात	वार्ड नम्बर-1 में नजर हेदर के मकान से शोहरत स्कूल की ओर पीडब्ल्यूडी रोड के किनारे इण्टरलाकिंग टाइल्स का निर्माण कार्य।	21.73	21.73		
					21.73	20.00	10.00
9	मऊ	न.पं. मुहम्मदाबाद गोहना	मुहल्ला-नाजोपट्टी वार्ड नम्बर-5 में फैजुरहमान के मकान से मु0 वाहिद के मकान तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	11.27	11.27		
			मुहल्ला-बरईपुर पश्चिमी/पूर्वी वार्ड नम्बर-9/2 में गंगाराम के बगीचा से अब्दुल अजीज गार्ड के मकान होते हुए बशीर मिया के कोठी तक इण्टरलाकिंग कार्य।	20.81	20.81		
			मुहल्ला रसूलपुर वार्ड नम्बर-17 में मस्जिद फैजुल रसूल से खैरुलबशर के मकान तक नाली, इण्टरलाकिंग कार्य।	07.33	07.33		
			योग-		39.41	35.00	17.50



( उमा शंकर सिंह )

उप सचिव।





क्र.	जनपद	निकाय का नाम	कार्य/मद	प्रस्तावित लागत	मूल्यांकित लागत	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि	प्रथम किस्त के रूप में अवमुक्त की जाने वाली धनराशि
10	कानपुर देहात	न.पं. रसूलाबाद	वार्ड नम्बर-1 रहीम नगर में रन्जीत से मेवालाल के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	02.44	02.44		
			वार्ड नम्बर-2 तुलसी नगर में धर्मगढ़ बाबा मन्दिर से बेला रोड तक सड़क व नाली निर्माण कार्य।	07.14	07.14		
			वार्ड नम्बर-7 सुभाष नगर में भीम बाजपेई से बुद्धन बाल्मीकि तक इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	07.42	07.42		
			वार्ड नम्बर-8 केशव नगर उमा शंकर शुक्ला के मकान से बड़े लल्ला ठाकुर तक इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	23.79	23.79		
			वार्ड नम्बर-9 शास्त्री नगर में विनोद तिवारी के मकान से बलवान सिंह होते हुए मन्दिर में ब्रिजकिशोर तक इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	09.68	09.68		
			वार्ड नम्बर-9 शास्त्री नगर में कानपुर रोड से पाल जी के मकान से बाजपेई के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	05.68	05.68		
			वार्ड नम्बर-9 शास्त्री नगर में संजय बाथम के मकान से रमाकान्त के मकान से दशरथ के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	04.48	04.48		
			वार्ड नम्बर-2 तुलसी नगर में शर्मा टायर वाले से इण्टरलाकिंग रोड से होते हुए सुनील के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	14.57	14.57		
			योग-		75.20.	75.00	37.50
11	कानपुर देहात	न.पं. अमरौधा	मोहल्ला मिश्राना में अम्बेडकर पार्क से शुक्ला जी के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	04.80	04.80		
			मोहल्ला पातेपुर/कुजरैठी में लाला राम के मकान से फुरकान के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	17.63	17.63		
			योग-		22.43	20.00	10.00



( उमा शंकर सिंह )

उप सचिव।



क्र.	जनपद	निकाय का नाम	कार्य/मद	प्रस्तावित लागत	मूल्यांकित लागत	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि	प्रथम किस्त के रूप में अवमुक्त की जाने वाली धनराशि
12	मेरठ	न.पं. बहसूमा	वार्ड नम्बर पोडी मार्ग कब्रिस्तान में सी.सी. इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	15.36	15.36		
			गैस गोदाम से कब्रिस्तान तक सी.सी. इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	14.03	14.03		
			वार्ड नम्बर साइड पटरी हंसपुर रोड में सी.सी. इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	23.61	23.61		
			राम कोठरी से हाजी की दुकान तक सी.सी. इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	09.79	09.79		
			योग-		62.79	62.00	31.00
13	झांसी	न.पं. एरच	नगर पंचायत एरच के अन्तर्गत गुरसराय रोड नहर से नगर पंचायत काम्प्लेक्स तक एवं गुरसराय पूछ मुख्य मार्ग से डिकोली रोड पर स्ट्रीट लाईट विस्तार का कार्य।	17.77	17.77		
			नगर पंचायत एरच के अन्तर्गत अम्बेडकर पार्क से नवीन पंचायत कार्यालय तक स्ट्रीट लाईट विस्तार एवं डा0 अम्बेडकर पार्क में विद्युत सुन्दरीकरण तथा नवीन नगर पंचायत कार्यालय के परिसर में प्रकाश व्यवस्था का कार्य।	12.34	12.34		
			योग-		30.11	30.00	15.00
14	बस्ती	न.पं. हरैया	हरैया चौराहे से बभनान मार्ग पर तुफैल अहमद के मकान तक सड़क के दोनों तरफ इण्टरलाकिंग पटरी का निर्माण कार्य।	28.12	28.12		
			वार्ड नम्बर-7 मोतीनगर कोहले में खम्हरिया प्रधानमंत्री सड़क से रामजग के घर तक मिटटी से लेपन स्तर तक तारकोल रोड का निर्माण कार्य।	05.45	05.45		
			योग-		33.57	33.00	16.50



( उमा शंकर सिंह )

उप सचिव।



क्र.	जनपद	निकाय का नाम	कार्य/मद	प्रस्तावित लागत	मूल्यांकित लागत	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि	प्रथम किस्त के रूप में अवमुक्त की जाने वाली धनराशि
15	श्रावस्ती	न.पं. इकौना	नगर पंचायत इकौना जनपद-श्रावस्ती के विभिन्न वार्डों में 30 वाट एलईडी सोलर स्ट्रीट लाइट कम्पलीट सेट लगाये जाने का कार्य 30 नग।	36.00	36.00		
			योग-		36.00	36.00	18.00
16	गोरखपुर	न.पं. सहजनवां	वार्ड नम्बर-1 में नकछेद प्रसाद के मकान से राम खेतान प्रसाद के मकान तक नाली निर्माण कार्य।	04.98	04.98		
			वार्ड नम्बर-2 में रीतु सिन्हा के मकान से दीलीप शर्मा के मकान के पास पुलिया तक नाला एवं नाला कवर निर्माण कार्य।	04.70	04.70		
			वार्ड नम्बर-11 में मेन रोड से रामआसरे यादव के मकान तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	03.59	03.59		
			वार्ड नम्बर-11 में मारकण्डे सिंह के मकान से बसन्तपुर रोड तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	03.98	03.98		
			वार्ड नम्बर-10 में तहसील रोड पर कामना कंचन पुलिया से मार्डन चिल्ड्रेन स्कूल तक नाला निर्माण कार्य।	04.93	04.93		
			योग-		22.18	20.00	10.00
17	संतरविदासनगर भदोही	न.पं. नई बाजार	वार्ड नम्बर-2 शहीद नगर में लोला सोनकर के मकान से अमरनाथ सोनकर के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं कबर्ड नाली निर्माण कार्य।	10.25	10.25		
			वार्ड नम्बर-2 शहीद नगर में बंगाली सोनकर के मकान से दशरथ के दुकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं कबर्ड नाली निर्माण कार्य।	17.27	17.27		
			वार्ड नम्बर-2 शहीद नगर में राजेश सोनकर के मकान से भोला सोनकर के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं कबर्ड नाली निर्माण कार्य।	11.35	11.35		
			योग-		38.87	35.00	17.50



( उमा शंकर सिंह )

उप सचिव।



क्र.	जनपद	निकाय का नाम	कार्य/मद	प्रस्तावित लागत	मूल्यांकित लागत	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि	प्रथम किस्त के रूप में अवमुक्त की जाने वाली धनराशि
18	इलाहाबाद	न.पं. लालगोपालगंज	वार्ड नम्बर-2 अइलहवा, बैजनाथ के मकान से चौबे पाल के मकान तक इंटरलाकिंग ब्रिक रोड नाली , क्रासिंग निर्माण कार्य।	10.29	10.29		
			वार्ड नम्बर-6 इमामगंज, मुन्नीलाल के मकान से भागवत के मकान तक इंटरलाकिंग ब्रिक रोड नाली/नाला क्रासिंग निर्माण कार्य।	11.37	11.37		
			वार्ड नम्बर-13 अहलादगंज, हमीदुल्ला के मकान से जब्बार साह के मकान तक इंटरलाकिंग ब्रिक रोड नाली क्रासिंग निर्माण कार्य।	09.81	09.81		
			योग-		31.47	30.00	15.00
19	इलाहाबाद	न.पं. मऊआईमा	वार्ड नम्बर-11/6/13 समीउल्ला के दुकान से डा0 अनस के मकान तक डामर रोड के दोनों पटरियों पर इंटरलाकिंग ब्रिक रोड, नाली निर्माण कार्य।	27.90	27.90		
			वार्ड नम्बर-9 आजमपुर नया पूरा आफताब कसाई के मकान से चन्दर के घर तक इंटरलाकिंग ब्रिक रोड निर्माण, नाली क्रासिंग निर्माण।	02.44	02.44		
			योग-		30.34	30.00	15.00
			कुल योग-			695.00	347.50

( रुपये तीन करोड़ सैंतालीस लाख पचास हजार मात्र)



( उमा शंकर सिंह )  
उप सचिव।



## Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2013-2014  
आवंटन दिनांक-04/03/2014

प्रेषण संख्या:- 74-252  
आवंटन आदेश संख्या:- 001-74-252-9-8-14-12ANYBud-2014  
अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2013-2014 का आवंटन)  
लेखाशीर्षक:- 2217 - शहरी विकास(आयोजनागत-मतदेय)  
03 - छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास  
193 - नगर पंचायतों / अधिसूचित क्षेत्र समितियों या उनके समतुल्य  
04 - उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि से व्यय  
01 - आदर्श नगर विकास योजना

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	मेरठ-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	3100000 24900000	3100000 ✓ 24900000
2	मथुरा-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1800000 73800000	1800000 ✓ 73800000
3	बदायूं-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	9000000 17150000	9000000 ✓ 17150000
4	इलाहाबाद-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	3000000 25000000	3000000 ✓ 25000000
5	झाँसी-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1500000 12750000	1500000 ✓ 12750000
6	बलिया-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2650000 13400000	2650000 ✓ 13400000
7	गोरखपुर-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1000000 11000000	1000000 ✓ 11000000
8	बस्ती-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1650000 19800000	1650000 ✓ 19800000
9	कानपुर देहात-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	4750000 52750000	4750000 ✓ 52750000
10	मऊ-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1750000 31450000	1750000 ✓ 31450000
11	संत रविदास नगर-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1750000 12700000	1750000 ✓ 12700000
12	श्रावस्ती-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1800000 8230500	1800000 ✓ 8230500
13	ज्योतिबाफूले नगर-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1000000 16450000	1000000 ✓ 16450000
	योग	वर्तमान प्रगामी	34750000 319380500	34750000 319380500

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया तीन करोड़ सैंतालीस लाख पचास हजार

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया इकतीस करोड़ तिरानवे लाख अस्सी हजार पाँच सौ

उप सचिव  
उमा शंकर सिंह

*U. S. Singh*